सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

13 जनवरी, 2020

षोडश विधान सभा | 13 जनवरी, 2020 ई0

चतुर्दश सत्र | सोमवार, तिथि 23 पौष, 1941(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । माननीय सदस्यगण .. महबूब जी, आपके साथ पूरा सदन अवगत है कि आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य, जो हम सबके लिए महत्व का है, उसके लिए जमा हुये हैं । उसकी गरिमा को क्यों घटा रहे हैं ।

माननीय सदस्यगण, षोडश बिहार विधान सभा का चतुर्दश सत्र दिनांक 22 नवम्बर, 2019 से आरंभ होकर दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ था । इस बीच सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विधायी कार्य के निष्पादन हेतु सदन का उपवेशन बुलाने का अनुरोध प्राप्त हुआ । इसी परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 13 जनवरी, 2020 को सदन का यह उपवेशन आहूत है । आज के इस उपवेशन में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन के अनुसमर्थन संबंधी सरकार के संकल्प पर विमर्श किया जाना है, तत्पश्चात् शोक प्रकाश होगा । आशा है सदन के कार्य निष्पादन में आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा ।

अब राजकीय संकल्प का प्रस्ताव, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग ।

राजकीय संकल्प

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष राजकीय संकल्प प्रस्तावित करता हूँ कि :

''यह सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद-368 के खण्ड-(2) के परन्तुक (घ) के अधीन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित "संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 का अनुसमर्थन करे । ''

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हम समझते हैं कि सभी दल के लोगों की सहमति भी होगी और सबलोग कुछ कहना भी चाहते होंगे तो आसन चाहता है कि सभी दलों के नेता संक्षेप में अपने दल की तरफ से अपनी राय रखेंगे तो अच्छा रहेगा । श्री

अब्दुल बारी सिद्दिकी जी । नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं । ठीक है, श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री जी, आप बोल लीजिए, तब उधर से बोलेंगे ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं संविधान के 126वें संशोधन के समर्थन के लिए जो संकल्प यहां पर लाया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, सदन को यह ज्ञात है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए संसद और विधान मंडलों में जो आरक्षण का 10 वर्षों के लिए प्रावधान किया गया था,जिसको प्रति 10 वर्ष बढ़ाकर 70 वर्ष किया गया था, उसको पुनः बढ़ाकर 25 जनवरी, 2030 तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं इसी के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सदन को यह ज्ञात है कि 2009 में 25 जनवरी, 2020 तक आरक्षण को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था और अब उसको पुनः 2030 तक बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, सदन को यह ज्ञात होगा कि लोक सभा के 543 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 543 में 47 सीटें आरक्षित है । यानी कुल मिलाकर लोक सभा में 543 में 131 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है और उसी प्रकार देश भर की विधान सभाओं में कुल 4120 सीटें हैं सभी विधान सभाओं को मिलाकर उसमें 1168 सीट जो है वह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए निर्धारित है । सदन को यह भी ज्ञात है कि 2011 की जनगणना के आधार पर पूरे देश में अनुसूचित जाति की आबादी 16.6 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6 प्रतिशत यानी कुल मिलाकर 25 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की है और संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति के आबादी के अनुपात में आरक्षित सीटों का प्रावधान किया जायेगा । महोदय, सदन को यह भी ज्ञात है कि 2002 में जो परिसीमन आयोग बना था जिसकी रिपोर्ट 2008 में रखी गयी थी उसमें अनुसूचित जाति की संख्या लोक सभा में 79 थी जिसको बढ़ाकर 84 की गयी और अनुसूचित जनजाति की संख्या 41 थी जिसको बढ़ाकर 47 की गयी चूंकि आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों का प्रावधान किया जाना है । यानी कुल 120 सीटें जो थी अनुसूचित जाति जनजाति की उसको बढ़ाकर 131 किया गया यानी 11 सीटों की वृद्धि की गयी । सभापति महोदय, सदन को यह भी ज्ञात है कि राज्य सभा में किसी भी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है । मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अगर आरक्षण नहीं होता लोक सभा और

विधान मंडलों में तो क्या स्थिति बनती इसका उदाहरण राज्य सभा है । आज की वर्तमान राज्य सभा में कुल 245 सदस्य हैं जिसमें अनुसूचित जाति के मात्र 18 और जनजाति के 8 कुल 26 सदस्य हैं राज्य सभा के अंदर, अगर आरक्षण का प्रावधान राज्य सभा में भी होता तो यह संख्या बढ़कर 50-55 तक जा सकती थी, लेकिन चूंकि आरक्षण का प्रावधान नहीं है इसलिए अनुसूचित जाति के लिए 18 और जनजाति के लिए 8 कुल 26 वर्तमान में राज्य सभा के सदस्य हैं कुल 245 में । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार विधान परिषद्ों में भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है और मैं केवल बिहार विधान परिषद् का उदाहरण देना चाहूंगा कि कुल 75 सदस्यों की विधान परिषद् में वर्तमान में कुल 5 सदस्य ही अनुसूचित जाति से आते हैं, जनजाति का एक भी व्यक्ति नहीं है । अनुसूचित जति के मात्र 5 सदस्य हैं, अगर यही आबादी के अनुपात में आरक्षण होता तो अनुसूचित जाति की संख्या विधान परिषद् में 11,12,13 तक पहुंच सकती थी । महोदय, स्थानीय प्राधिकार की 24 सीटें जिसमें केवल 1 अनुसूचित जाति का सदस्य है, मनोनयन के 12 में 2 है, स्नातक की 6 में 1 भी अनुसूचित जाति का नहीं है और शिक्षक निर्वाचन में एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है । महोदय, यह दर्शाता है कि यह निर्णय कितना महत्वपूर्ण है । अगर हमलोगों ने विधान परिषद् में या राज्य सभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान सभा ने या संसद ने किया होता तो आज राज्य सभा और विधान परिषद् की स्थिति अत्यंत भिन्न होती । महोदय, आज इसको बढ़ाये जाने का औचित्य इसलिए भी है कि अगर लोक सभा में और विधान सभाओं में आरक्षण नहीं होता तो क्या महोदय मैंने जो यह संख्या बतायी क्या 131 लोक सभा के सदस्य पहुंच पाते क्या ? आजादी के 70 साल बाद भी आज समाज की स्थिति नहीं है जबकि 70 साल में काफी विकास हुआ है, लेकिन आज भी अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाय तो पूरे देश के अंदर 2-4 लोग भी जीतकर बहुत मुश्किल से जा पायेंगे । इसीलिए महोदय, यह जो प्रावधान किया जा रहा है

(व्यवधान)

विरेन्द्र जी, रूक जाइये, बोलने दीजिए, आपका नंबर आयेगा तो बोलियेगा ।

अध्यक्ष महोदय, यह आरक्षण तब तक लागू रहेगा, अभी तो 10 वर्षों के लिए हमलोगों ने बढ़ाया है, जब तक अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग अपनी ताकत पर उसी अनुपात में जीतकर नहीं आते हैं तब तक हमारा यह दायित्व है कि हम इस आरक्षण के प्रावधान को बनाये रखें । इसके लिए सौ

साल भी बनाये रखने की आवश्यकता होगी तो यह हमारा नैतिक दायित्व है। हमारा समाज के उन वर्गों के प्रति कमिटेड है, जिसका अनुपालन हम सभी लोग कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, जब हम विधान मंडल और संसद में आरक्षण की चर्चा कर रहे हैं तो मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि आरक्षण किसकी देन है । यह महात्मा गांधी और अम्बेदकर की देन है । सदन के अंदर बैठे बहुत सारे सदस्यों को जानकारी होगी लेकिन मैं उनको स्मरण कराना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने समाज को बांटने के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी और कम्युनल अवार्ड के अंदर यह प्रावधान था कि दलित समाज का व्यक्ति खड़ा होगा और दलित केवल वोट करेगा ।

क्रमशः

टर्न-2/ज्योति/13-01-2020

क्रमशः

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : पूरा हिन्दू समाज वोट नहीं करेगा जिसको पृथक निर्वाचन का अधिकार कहा गया कि दलित खड़ा होगा और केवल दलित वोट करेगा । गांधी ने एलान कर दिया था सेकेंड राउंड टेबुल कौंफ्रेंस में कि अगर पृथक निर्वाचन का अधिकार दलितों को दिया गया तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा, मैं समाज को टूटने नहीं दूंगा । लेकिन रैमसेन मैकडोनेल जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के जब उन्होंने 1932 के 17 अगस्त को कॉम्युनल अवार्ड घोषित करके पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया तो गांधी ने उसी समय एलान किया कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि गांधी 20 सितम्बर को आमरण अनशन पर बैठ गए । वे यर्वदा के जेल में बंद थे उन्होंने कहा कि उन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार मुझे स्वीकार नहीं है यद्यपि अंग्रेजों ने मुसलमानों को, क्रिश्चियन्स को, यूरोपियन्स, सिखों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था कि मुसलमान मुसलमान को वोट करेगा, सिख सिख को वोट करेगा, यूरोपियन यूरोपियन को वोट करेगा और इसाई इसाई को वोट करेगा । उनके लिए सीटें आरक्षित रहेंगी लेकिन गांधी ने कहा कि मैं दलित समाज के लिए अलग से पृथक निर्वाचन के आरक्षण का मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि गांधी 5 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे रहे, फिर गांधी और अम्बेदकर के बीच में समझौता हुआ, जो पूणे समझौता के नाम से जाना जाता है और जहॉं अंग्रेजों ने दलितों

को 71 सीटें दी थी वहाँ गांधी के समझौते के परिणामस्वरुप इस देश के दलित समाज के लोगों को 71 की तुलना में 148 सीटें प्राप्त हुईं । इसलिए मैं इसका स्मरण कराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि गांधी-अम्बेदकर के समझौते का परिणाम है । इसलिए किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कोई एहसान कर रहे हैं दलित समाज के लोगों को यह आरक्षण देकर । सैकड़ो-हजारों वर्षों तक दलितों का जो अपमान हुआ है उस प्रायश्चित के रुप में और उस वर्ग को समाज के बाकी लोगों के समकक्ष लाने के लिए यह प्रावधान किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर जब गांधी और अम्बेदकर का समझौता हो रहा था, मैं दो मिनट के अंदर कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा। अंग्रेजों ने जब 71 सीटें दी तो अम्बेदकर की ओर से यह मांग थी कि हमको 197 सीटें मिलनी चाहिए और जैसा मैंने बताया कि सहमति बनी 148 सीटों पर और प्रावधान यह किया गया कि दो चरणों में चुनाव होगा । पहले केवल दलित खड़ा होगा और दलित समाज का व्यक्ति वोट देगा और चार लोग उसमें से चुने जायेंगे जिसको प्राइमरी इलेक्शन कहा गया यानी एक विधान सभा या एक लोक सभा क्षेत्र में दलित को दो वोट देने का अधिकार होगा । पहला वोट वह देगा जो दलित खड़ा होगा केवल दलित वोट करेगा तो जितने लोग खड़े हुए, उसमें सबसे ज्यादा जिन चार लोगों को मत मिलेगा वह सामान्य चुनाव में खड़ा होगा और फिर पूरा हिन्दू समाज उसके लिए वोट करेगा चूँकि मुसलमानों के लिए अलग अधिकार था, क्रिश्चियन्स के लिए अलग था, सिखों के लिए अलग था तो ये अधिकतम चार के लिए प्रावधान किया गया और केन्द्रीय संसद में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं था तो गांधी-अम्बेदकर समझौते के परिणामस्वरुप केन्द्रीय असेम्बली में 18 प्रतिशत सीटों का प्रावधान किया गया ।

अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि यह जो प्राथमिक चुनाव होगा जिसमें चार सदस्य चुने जायेंगे, ये 10 साल तक यह व्यवस्था रहेगी । अम्बेदकर चाहते थे कि 10 साल के बाद 15 साल जिसमें 10 साल प्राइमरी इलेक्शन चलेगा, उसके बाद प्राइमरी इलेक्शन खत्म हो जायेगा यानी चार नहीं चुने जायेंगे पूरा समाज चुनेगा और 25 साल के बाद जनमत संग्रह होगा और जनमत संग्रह में अगर दलित समाज ने कहा कि आरक्षण लागू रहना चाहिए तो

फिर उसको अगले 10 साल तक लागू किया जा सकता है । गांधी कहते थे कि नहीं, जनमत संग्रह 25 साल बाद नहीं होगा, जनमत संग्रह जो है वह 5 साल के बाद होना चाहिए और 5 साल के बाद भी अगर दलित समाज यह कहता है कि आरक्षण लागू रहना चाहिए तो फिर उसको आगे भी जारी रखा जाय और फिर 10 साल के बाद रिफ्रेंडम हो । इसी बात को लेकर विवाद पैदा हो गया । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अंत में यह सहमति बनी कि यह जो प्राइमरी इलेक्शन है यह 10 साल तक चलेगा और उसके बाद दोनों- सवर्ण समाज के लोग, दलित समाज के लोग आपस में बैठकर सहमति से यह निर्णय करेंगे कि आरक्षण कबतक लागू रहेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका थी और जो पूना समझौता हुआ, उसपर हस्ताक्षर करने वाले लोगों में पंडित मदन मोहन मालवीय, बी0आ0अम्बेदकर, सी.राजगोपालाचारी, घनश्याम दास बिड़ला, देवदास गांधी, इन सारे तमाम लोगों ने हस्ताक्षर किया और तब अंग्रेज सरकार को झुक कर कॉम्युनल अवार्ड वापस लेना पड़ा, अध्यक्ष महोदय । कॉम्युअल अवार्ड वापस लेने के बाद उसके अंदर यह प्रावधान किया गया कि यह आरक्षण लागू रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी सदन को बताना चाहूंगा कि यह आरक्षण जो 1937 के अंदर लागू हुआ, 1932 में समझौता हुआ, 1935 में कानून बना और 1937 के भारत सरकार के कानून के तहत इस आरक्षण को लागू किया लेकिन आरक्षण केवल दो साल लागू रहा । उसके बाद 10-12 साल तक संविधान स्थगित रहा और तब उसके बाद जब नया संविधान बना तब यह आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे मालूम है कि सर्वसम्मति से संसद ने इस संकल्प को पारित किया है, यह विधान सभा भी इस संकल्प को पारित करेगी लेकिन कई बार लोगों के मन में जो प्रश्न पैदा होता है कि आखिर कबतक यह आरक्षण लागू रहेगा, उन लोगों को हम लोगों का यही जवाब है कि जबतक यह भेदभाव समाज में बना रहेगा तबतक यह आरक्षण इस देश के अंदर लागू रहेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातों का और जिक्र करना चाहूंगा कि भारत की सरकार ने और सभी लोगों ने मिलकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति

अत्याचार निवारण अधिनियम की कुछ धाराओं को, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, संसद ने सर्वसम्मति से उसको रेस्टोर करने का काम किया । इतना ही नहीं, हमलोगों का यह मत है कि जो क्रिमिलेयर है वह अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर लागू नहीं होना चाहिए । आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि नौकरियों में जो एस.सी./एस.टी. का आरक्षण है उसपर क्रिमिलेयर लागू होगा जिसतरह ओ.बी.सी. के आरक्षण पर लागू है लेकिन भारत की सरकार इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में गयी है । सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा है कि हम क्रिमिलेयर के पक्ष में नहीं है, अभी वह स्थिति नहीं आयी है समाज के अंदर एस.सी.एस.टी. के लिए कि क्रिमिलेयर को लागू किया जाय । साथ ही साथ, हमारी सरकार और हमारी पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को प्रोमोशन में आरक्षण की पक्षघर है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमलोगों ने बिहार में इसको लागू किया था कि प्रोमोशन में भी अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों के लिए आरक्षण लागू रहना चाहिए, कोर्ट के अंदर यह मामला चला गया । सुप्रीम कोर्ट में हमलोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से इस बात को दुहराना चाहूंगा कि अनुसुचित जाति और जनजाति के वर्गो के लिए हमलोगों ने जो कुछ भी किया है या हम जो कुछ भी कर रहे हैं यह उस पाप का प्रायश्चित है जो हजारों वर्षो तक हमलोगों ने इन वर्गों के उपर दमन के रुप में करने का काम किया था । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से यह आग्रह करुंगा कि सर्वसम्मति से विधान मंडल के दोनों सदनों के अंदर यह संकल्प पारित किया जाना चाहिए । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, 126 वॉ संविधान संशोधन विधेयक, इस बिल के हमलोग समर्थन ही नहीं बल्कि पुरजोर समर्थन में खड़े हैं और 10 साल के लिए नहीं, हमलोग चाहेंगे कि इसको 20 साल तक के लिए किया जाय । लेकिन हर बार यह जो है, 10 साल बाद यह रिनिऊ होता है, इसलिए हम सब लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि इसकी कोई स्थायी

व्यवस्था भी हमलोगों को करनी चाहिए ताकि बार-बार 10 साल बाद हमलोगों को इसको रिनिऊ करने की जरुरत नहीं पड़े ।

महोदय, आज मुख्यमंत्री जी भी यही हैं और हमको जहाँ तक लगता है यह विधेयक जो है सर्वसम्मति से पास होगा और जिस प्रकार से आज यह सत्र बुला करके इस विधेयक का सबलोग जहां तक मुझे एहसास है कि सब लोग समर्थन करेगे और पास करेंगे । उसी तरीके से हमारी दो मांगे हैं कि एक तो विशेष सत्र जातीय जनगणना पर बुला करके हमलोगों को केन्द्र सरकार में प्रस्ताव भेजना चाहिए ।

क्रमशः

टर्न-03/कृष्ण/13.01.2020

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता,विरोधी दल (क्रमशः) : महोदय, डबल इंजन की सरकार है। कई राज्य की सरकारों ने केन्द्र सरकार को भेजने का काम किया है और अभी अपने वक्तव्य में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी कह रहे थे रीजर्वेशन इन प्रमोशन लेकिन हमलोगों को तकलीफ होती है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को सड़कों पर आकर उनको लड़ना पड़ता है, महोदय, एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट जिस प्रकार से केन्द्र सरकार की साजिश द्वारा खत्म कराने का काम किया गया था, अगर भारत बंद नहीं होता, लोग जागरूक नहीं होते, सड़क पर नहीं आते, वरना यह सरकार तो चाहती ही नहीं है कि उन वंचित एवं शोषित समाज के लोगों को उनका अधिकार दिया जाय । महोदय, यह सब को पता है कि कौन किस सोच और विचारधारा के लोग हैं । आज देश में हम सबलोगों को सोचना पड़ेगा और माननीय मंत्री जी से बार-बार विनती करते हैं, अगर हो तो इस को बढ़ा दिया जाय, हमलोग इसके समर्थन में हैं, विशेष सत्र को एक दिन, दो दिन जितना दिन तक आप को बढ़ाना है, आप बढ़ा दीजिये लेकिन जातीय जनगणना पर हमलोगों को एक जुट हो कर जो वंचित, शोषित, पीड़ित समाज है, उनको अधिकार देने का काम करना चाहिए । महोदय, विधेयक के समर्थन में तो सब लोग होंगे, हमारे देश की जो स्थिति है खास तौर से क्योंकि पूरा देश जल रहा है और सी0ए0ए0 और एन0आर0सी0 और आप कहियेगा एन0पी0आर0, अब तो गजट में उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है, एन0पी0आर0 तो शुरू से होता रहा है लेकिन उसमें नया प्रावधान किया गया,

क्या आपको अपने पिता जी का भी डिटेल्स देना पड़ेगा कि उनका जन्म कहां हुआ था, आप को यह भी डिटेल्स देना पड़ेगा कि कौन-सी जगह और कौन से साल जन्म हुआ था, अब लोग भागते रहेंगे, कागज ढूंढने के लिये । अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का सी0ए0ए0 और एन0आर0सी0 पर कोई वक्तव्य नहीं आया है महोदय । हम सब विपक्षी दल के लोगों ने मिलकर बिहार को बंद किया था और पूरे बिहार की जनता यह चाहती है कि किसी भी प्रकार से चाहे हमें खून देना पड़े लेकिन हमलोग सी0ए0ए0 और एन0आर0सी0 को लागू नहीं होने देंगे । हमने कई बार माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान देखा, अब हमको समझ में नहीं आता है कि उप मुख्यमंत्री जी प्रधान मंत्री जी की बात को मानते हैं या अमित शाह जी की बात को मानते हैं । इस पर भी थोड़ा स्पष्ट कर दें, राष्ट्रपति जी का भाषण हो चुका है, उसमें साफ तौर पर कह दिया, प्रधान मंत्री जी कुछ कहते हैं, इनकी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष गृह मंत्री कुछ और कहते हैं और सुशील कुमार मोदी जी कुछ और कहते हैं, हमको याद है, झारखंड में एक ही मंच पर बैठे हुये थे, एक निजी चैनल के चैनल में, वहां पर इन्होंने कहा कि नहीं लागू होने देंगे और अमित शाह जी ने उसी मंच पर उसके बाद कहा कि किसी भी कीमत पर हम लागू होने देंगे। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट वक्तव्य होना चाहिए । लोगों को असमंजस में नहीं रहना चाहिए । इस में स्पष्टता होनी चाहिए क्योंकि नोटिफिकेशन हो गया अब इसमें कार्रवाई होगी और यह जो एन0पी0आर0 है, This is the first step for NRC मतलब पहला कदम है एन0आर0सी0 को लेकर के । अब इसमें हर जगह लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं बताईये, अब हमलोगों को सबूत देना पड़ेगा कि हमलोग इस देश के नागरिक हैं या नहीं । इस देश की आजादी में, हिन्दू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों सभी लोगों ने अपना खून बहाकर इस देश को आजाद कराने का काम किया और कुछ लोग उनको संदेह की नजर से देख रहे हैं कि वे राष्ट्रभक्त हैं कि नहीं। ये हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यह सबों का देश है और अगर संविधान विरोधी काम होगा तो हमलोग इसको सहनेवाले नहीं हैं । इसलिए महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, यह मामला बहुत ही गंभीर है महोदय, पता नहीं, मुख्यमंत्री जी वर्मा जी की बात मानेंगे कि ललन जी की बात मानेंगे । यह भी देखना है । पार्लियामेंट में वे लोग समर्थन करते हैं, फिर वर्मा जी

चिट्ठी लिखते हैं, फिर प्रशांत किशोर जी मिलने जाने हैं, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नहीं, हम सी0ए0ए0 का नहीं बल्कि एन0आर0सी0 का विरोध करेंगे। यह क्या मतलब है ? सारा खेल आप जानते हैं । हमको याद है जब हम उप मुख्यमंत्री थे, हम बगल में बैठा करते थे तो आप बोलते थे कि आर0एस0एस0 वाले लोग बहुत खतरनाक हैं । इनके डिजाईन से बचना, बहुत खतरनाक हैं । आप कहा करते थे मुख्यमंत्री जी । मैं अपनी बात नहीं, आप हमको हौसला दिलाकर कहते थे, बहुत लंबी लड़ाई है, इतनी आसानी से नहीं लड़ी जायेगी और कहा करते थे कि अब तो तुम्हीं लोगों को संभालना है । अब यही बात चिराग पासवान जी को कहते होंगे वह बेचारा फंस जाता होगा। उसमें हमको कुछ नहीं कहना है । लेकिन मुख्यमंत्री जी सही में, अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है तो हमलोगों को चाहे अपना हित, अपना क्या इरादा है, अपना कहां फायदा, नुकसान न देख करके देश हित में फैसला लेना पड़ेगा तो क्या डर है, किन से सडर है ? अब तो आपका कार्यकाल हो गया, आपने अपनी सारी चीजों को देख लिया लेकिन आगे आनेवाली जो पीढ़ी है, आप उसके भविष्य को बेहतर उज्जवल करने के लिये फैसला लीजिये और हम यही अपील करेंगे, अगर जरूरत पड़े तो जातीय जनगणना के साथ-साथ इसके लिये भी विशेष सत्र बुला लीजिये क्या दिक्कत है, हमलोग साथ हैं में तो महोदय, ज्यादा कुछ न कहते हुये इन्हीं चंद बातों के साथ एक बार पुनः मैं दोहराता हूं कि जो 126वां संशोधन है, इसका हमलोग पुरजोर समर्थन करते हैं । जय हिंद ।

श्री सदानन्द सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण बढ़ाने संबंधी विधेयक पर संसद की जो मंजूरी हुई है और जिसका प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी रखा है, संसद में भी सर्वसम्मति से इसकी स्वीकृति हुई, कहीं किसी ने विरोध नहीं किया । महोदय, स्वाभाविक है कि आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया, महसूस ही नहीं यह एक हकीकत था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग काफी पीछे हैं और ये दबे-कुचले लोग जो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ सके हैं, उनको संसदीय कार्यों में आरक्षण दे कर आगे बढ़ाने की बात की गयी थी । महोदय, इसका प्रारूप 1949 में तैयार हुआ था और लाया गया था और जो संविधान बना तो यह 40 वर्षों के लिये आरक्षण था और 40 वर्षों के बाद प्रत्येक 10-10 वर्षों के लिये इसकी अवधि बढ़ाई गयी और उसी अवधि में यह समाप्त होने जा रहा था तो हमलोगों

ने 10 दिसंबर,2019 को संसद में लाकर इसकी स्वीकृति करायी । अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 334 में इसके अतिरिक्त उन दिनों एंग्लो इन्डियन को भी आरक्षण दिया था लेकिन उनकी जनसंख्या 296 ही रही है तो इस बार इस संशोधन से हटा दिया गया है । यों भारत सरकार के कानून मंत्री ने संसद में यह बात कही थी कि इस पर भी विचार करेंगे । तो इसमें कोई दो राय नहीं, देशहित में और समाजहित में इसको होना था और वह हुआ । हमने एक जगह देखा था, पढ़ा था, अम्बेदकर की जो सोंच थी, वह सोंच बड़ी अच्छी थी और संविधान निर्माण करते वक्त उन्होंने यह कहा था, सोचा था कि हमलोग जिस तरह विरोधाभास के युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां एक ओर राजनीति में समानता और अधिकार मिलेगा, वही दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में विषमता होगी। यह आकलन उन्होंने किया था । हमें इस विषमता को दूर करनी होगी, नहीं तो इस विषमता से पीड़ित वर्ग पूरे ढांचे को उखाड़ फेकेगा । इस परिप्रेक्ष्य में यह आरक्षण हुआ है, यह देशहित में हुआ है और हम लोग सभी के दल के लोग दल से ऊपर उठ कर समर्थन करते हैं ।

क्रमश :

टर्न-4/अंजनी/13.01.20

श्री सदानंद सिंह : क्रमश: ... लोक सभा में भी हमलोगों ने समर्थन किया था और जहां तक हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जिन बातों को उठाया है, वह तो बात आयेगी ही विधान सभा में अनुसमर्थन के लिए, हमलोग उठायेंगे ही लेकिन उन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद । कांग्रेस विधान मंडल दल इसका अनुसमर्थन करता है ।

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सत्यदेव जी को बोलने दिया जाय ।

अध्यक्ष : आप बिना अनुमति के बोलने वालों में हैं । अनुमति देने पर आप नहीं बोलते हैं। माननीय सदस्य श्री सत्यदेव जी ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण 10 वर्षों के लिए अर्थात् 25 जनवरी, 2030 तक जारी रखने का प्रस्ताव है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ । महोदय, इस विषय पर माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी बेहतर तरीके से आरक्षण का चित्रण किया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित में बात सुनायी पड़ रही थी

लेकिन महोदय, आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो जब से केन्द्र में भाजपा, एन0डी0ए0 की सरकार बनी है, तब से आरक्षण के गर्दन पर तलवार लटकी हुई है और देश, राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इस बात से चिंतित हैं, उनको चिन्ता सताये जा रही है कि यह कब आरक्षण समाप्त हो जायेगा । महोदय, संविधान की तहत ये बातें आयी हैं और आज पूरे तौर पर संविधान पर ही हमला हो रहा है और खंड-खंड करके संविधान को देश की केन्द्र सरकार लगभग इन्कार कर चुकी है, नहीं तो यह 10 प्रतिशत सबल आरक्षण कहां से आ गया ? संविधान में तो साढ़े 49 प्रतिशत मंजूर किया है तो यह दस प्रतिशत आरक्षण कहां से आ गया ? इसका मतलब है कि यह वर्त्तमान सरकार, देश की वर्त्तमान सरकार आरक्षण को नहीं मानती है, इसलिए यह चिन्ता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को है और ये लोग आज ज्यादा चिंतित हैं । चूंकि बाबा साहेब ने यह व्यवस्था देकर के इस दबे-कुचले समाज के हासिये पर रहनेवाले लोगों को ऊपर उठाने का काम किया और आज लोग उसके सहारे ऊपर उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं लेकिन यह जो तलवार लटकी हुई है, उससे वे काफी चिंतित हैं । जो सदन में प्रस्ताव लाया गया है, हम उस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हुए यह कहना चाहते हैं कि इस पर विचार होना चाहिए । कारण कि नीति दोहरी हो गयी है, हमने लाल किला के मैदान में भाषण सुना, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एन0आर0सी0 पर कोई चर्चा नहीं हुई है, जबकि 9 बार लोक सभा में चर्चा हो चुकी है । हम यह मानते हैं कि 9 बार नहीं हुई है लेकिन जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसपर कोई चर्चा नहीं हुई है और थोड़े समय के बाद देश के गृह मंत्री कहते हैं कि एन0आर0सी0 से एक ईंच पीछे नहीं हटेंगे, चाहे देश की जनता जितना आन्दोलन करे । इन बातों से महोदय, चिंता बढ़ रही है, काफी चिंता बढ़ रही है कि हम लोक सभा, राज्य सभा में एन0आर0सी0 का समर्थन करते हैं और बिहार में हम अखबार में बयान देते हैं कि हम बिहार में एन0आर0सी0 लागू नहीं होने देंगे तो ये बातें सब चिन्ता का विषय है। इससे काफी चिंता हो रही है, इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आपका विचार बहुत उत्तम है, सही है और यह बिहार की जनता के पक्ष में है तो केरल के तौर पर बिहार विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर हम सब लोग आपके पक्ष में खड़े रहेंगे, आप प्रस्ताव पारित करिए कि हम बिहार में एन0आर0सी0 लागू नहीं होने देंगे । यह आज आप घोषणा करें कि ऐसी

घोषणा आप करेंगे । महोदय, इसके लिए इसी सत्र को बढ़ाया जा सकता है, आज हैं, हमलोग कल भी रहेंगे और यह प्रस्ताव पारित हो महोदय । हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हम अपना प्रस्ताव रखते हैं । महोदय, एक बात और छोटी बात है, हमने जल-जीवन हरियाली का समर्थन किया है और हम उसके पक्ष में हैं । लेकिन जल-जीवन हरियाली की आड़ में पूरे बिहार में जो वर्षों से भूमिहीन गरीब जिसके पास बिहार में बसने के लिए दो धुर जमीन भी नहीं है, वे उजाड़े जा रहे हैं महोदय ।

अध्यक्ष : अभी 126वां संशोधन पर संकल्प है ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैंने तो समर्थन कर दिया है और समर्थन करेंगे लेकिन गरीबों को उजाड़ा जायेगा तो हम उसका कड़ा विरोध भी करेंगे । हम यह कहना चाहते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उन गरीबों को छोड़कर के अमीरों को आप हटाकर के जल निकासी और जल संरक्षण का काम कीजिए लेकिन उन गरीबों को मत हटाइए जो वहां से उजड़ने के बाद खुले आसमान के नीचे चले जाते हैं। उनके सर पर छत नहीं रहता है, यही बात कहते हुए, मैं फिर एक बार इस आरक्षण के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं, 126वां संशोधन विधेयक बिल का लोक जनशक्ति पार्टी पुरजोर समर्थन करती है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलिए राजू तिवारी जी ।

श्री राजू तिवारी : संविधान के 126वां संशोधन बिल का हमारी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी पूरा समर्थन करती है । अध्यक्ष महोदय, मैं अभी सदन में नेता प्रतिपक्ष की बात सुन रहा था, बड़ी खुशी हुई कि ये सदन की चिंता करते हैं हमारे नेता चिराग पासवान जी की चिन्ता करते हैं तो मैं आपके माध्यम से इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सिवाय हमारे नेता की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करें, चूंकि अपनी चिंता करना ही उनके लिए बढ़िया रहेगा और दूसरे की चिंता न करें कि वे किस जगह फंसे हैं तो हमलोग फंसे-फंसाये दल में नहीं हैं, हमलोग जहां हैं, वहां पूरी तरह सुरक्षित हैं और हमलोग पूरा अपनापन में हैं । महोदय, मैं एक चीज और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष को कि सदन जब चलता है, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे कि सदन को चलाया जाय....

श्री भाई वीरेन्द्र : बिल पर है ।

श्री राजू तिवारी : बिल पर वे नहीं बोले हैं, वे भी बोले हैं तो थोड़ा हम विशेष नहीं बोले हैं, आग्रह कर रहे हैं । तो जब सदन चलता है और जैसे आज देश का एक बड़ा और गंभीर बिल था, उसको 10 साल बढ़ाने के लिए हम सारे लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो उसी तरह जब सदन चलता है तो जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार के भी गंभीर मुद्दों पर आखिर हां करें, इतना लम्बा सदन चला, एक दिन भी उनका दर्शन नहीं हुआ, एक दिन दर्शन हुआ तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भविष्य में बिहार के भी मुद्दों को लेकर यदि वे गंभीर हैं और यह राज्य विकास और सुशासन का है, उसमें भी आप सहयोग करें । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्यमंत्री ।

(व्यवधान)

भाई वीरेन्द्र जी, इन्होंने समर्थन दिया कि नहीं दिया, ये जब हम वोट के लिए पुट करेंगे तो उस समय नजर आयेगा ।

शांति-शांति ।

टर्न-5/राजेश/13.01.20

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, जो आज यहाँ राजकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया है, जो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा संविधान संशोधन का विधेयक पारित किया गया है और जिसके मुताबिक अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति के लोगों को जो आरक्षण लोकसभा और राज्य की विधान-सभाओं के लिए, जिसका प्रावधान किया गया है, उसको अगले 10 (दस) वर्ष के लिए बढ़ाया जाय । पिछला संशोधन 2009 में हुआ था, उसका हमलोगों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया था और इस बार फिर आया है अगले 10 वर्ष के लिए यानी कि इस बार 25 जनवरी, 2020 तक के लिए था, जो अब 10 वर्ष तक और बढ़ करके 25 जनवरी, 2030 तक के लिए संशोधन हुआ है और उसी का राजकीय संकल्प का प्रस्ताव यहाँ रखा गया है । विभिन्न दलों के माननीय नेताओं ने अपनी बात रखी है और सब लोगों ने इस संकल्प का समर्थन किया है, तो इसके लिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ और हम सभी लोगों

को मिल करके सर्वसम्मति से इस राजकीय संकल्प को पारित किया जाना चाहिए और संकल्प के बारे में बहुत सारी बातों की चर्चा हमारे माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ने भी की, हमारे नेता, विरोधी दल ने भिन्न विषयों की चर्चा की, तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अभी का जो हमलोगों का या आज की जो यह विशेष बैठक है, वह इसी प्रश्न पर है लेकिन अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई है, हमें इस विषय पर कोई एतराज नहीं है, इसपर हम आगे पूरी चर्चा करें, हर चीज पर चर्चा होनी चाहिए, अगर किसी चीज को ले करके कोई लोगों के मन में इसके उपर अलग-अलग राय है, तो इसपर चर्चा होनी चाहिए और हम तो इस राय के हैं कि अगला जो सेशन हो, उसमें इन विषयों पर चर्चा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ठीक ढंग से चर्चा होगी लेकिन एक बात मैं जरुर कहना चाहूंगा कि इन दिनों जितने बड़े पैमाने पर इस विषय पर चल रहा है,तो इसपर हमलोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, चाहे वह सी0ए0ए0 हो, एन0आर0सी0 की जहॉं तक बात है,तो एन0आर0सी0 का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, यह एन0आर0सी0 आया कहॉं था, एन0आर0सी0 तो पहले ही जब केन्द्र में माननीय राजीव गॉंधी जी की सरकार थी और जो असम के लोगों के साथ, आसू के साथ, जो बातचीत हुई थी, जो समझौता हुआ था, उसमें एन0आर0सी0 की बात आयी थी,असम के कंटेस्ट में एन0आर0सी0 की बात आयी थी, कोई देश के कंटेस्ट में एन0आर0सी0 की कोई बात नहीं आयी थी और हमलोगों को तो इसका कोई एहसास नहीं है कि अनावश्यक एन0आर0सी0 देश में आ सकता है,उसका कोई औचित्य नहीं है और मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय पर साफ-साफ बोल दिया है, इसलिए एन0आर0सी0 वाली बात तो कुछ है नहीं, तो अब रही बात कि इन दिनों जो जनगणना की बात चल रही है उसको ले करके, तो जो 2010 में हुआ था एन0पी0आर0, तो राज्यों से लिया गया था, तो एन0पी0आर0 जो 2010 में हुआ था, तो इसके बारे में तो राज्य सरकार ने पहले से सहमति दी है लेकिन अब यह बात आ रही है कि एन0पी0आर0 में अन्य चीजों के बारे में पूछा जा रहा है, तो जहॉं तक यह सवाल है, तो मैं स्पष्ट रुप से कहना चाहता हूँ कि देखिये, चूंकि हमारी पूरी की पूरी, सब लोगों की सहमति से जल-जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई है और इसके लिए दोनों सदनों के सभी दलों के माननीय सदस्यों से माननीय अध्यक्ष महोदय ने और माननीय कार्यकारी सभापति, बिहार विधान परिषद् ने विधान सभा

और विधान परिषद् के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया था, 13 जुलाई को बैठे थे, 8 घंटा से ज्यादा,लगभग 9 घंटा तक इसपर चर्चा हुई थी और उससे यह बात निकली थी कि जल-जीवन हरियाली अभियान की, हम उस काम में लगे हुए हैं और उसी के पक्ष में जनमत को जागृत करने के लिए यह किया गया है कि फिर से इसपर भी मानव श्रृंखला बनें 19 जनवरी को, रविवार का दिन है,यह बात हो रही है, तो उसके चलते मेरा ध्यान उसी ओर केन्द्रित है, मैं इतना जरुर कहूंगा कि जब भी चाहेंगे, हम भी इस बात के लिए सहमत होंगे कि इस विषय पर जरुर विचार-विमर्श हो,अगर सदन में बातचीत करना चाहते हैं, तो सदन में चर्चा होनी चाहिए और सदन में चर्चा हो,सब लोग अपनी बात रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, लेकिन जो बात है, आज जो जनगणना की बात चल रही है, हमलोग भी बहुत पहले से इस बात के पक्षधर है कि एक बार जरुर कास्ट बेस्ड जनगणना होनी चाहिए, यह पहले 1930 में हुआ था और 1930 के बाद यह हुआ नहीं है और पिछली बार जो 2010 में बात हुई थी, तो 2010 में भी इस बात को ले करके मांग उठी थी, तो जनगणना के बाद एक अलग से इसके बारे में हुआ और अलग से जो किया गया, तो उसके चलते सचमुच लोगों के कास्ट के डिफरेंट पोपुलेशन के बारे में पूरी बात आ नहीं पायी, जो ऑकड़े थे, वह भी प्रकाशित नहीं हो सका, इसलिए कि वह ठीक से हो नहीं पाया था, इसलिए जो जनगणना हो, हमलोग भी इस राय के है कि कास्ट बेस्ड तो होना ही चाहिए, यह एक बार 1930 में हो गया, तो एक बार तो और हो ही जाना चाहिए जातीय आधारित जनगणना, ताकि सब लोगों को मालूम हो, अभी क्या है, अभी हर डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनकी गिनती हो जाती है, जो अलग-अलग धर्म के मानने वाले हैं, उनकी गिनती हो जाती है, शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राईब में जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, उनकी भी गिनती हो जाती है लेकिन बाकी लोगों में कास्ट की गिनती नहीं होती, तो एक बार गिनती हो जानी चाहिए कास्ट बेस्ड, हमलोग तो इस राय के है और पहले से भी सार्वजनिक तौर पर कहते रहे हैं, तो इसमें कोई हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है लेकिन सदन जब आगे बैठे, तब उसमें हमलोग इन सभी बिन्दुओं पर चर्चा करेंगे और अपनी राय को कम्युनिकेट भी करेंगे, केन्द्र सरकार को भी हमलोग अपनी राय एवं बिहार की जो फीलिंग है, उसको हमलोग कम्युनिकेट करेंगे, चूंकि जनगणना तो अभी होने में समय है, जनगणना तो तीन महीने, चार

महीने के बाद शुरु होने वाला है, जनगणना तुरंत नहीं शुरु होने वाली है, इसकी तैयारी अभी चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार होगी तो उसके पक्ष में है ।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने जल-जीवन हरियाली अभियान के बारे में कह दिया, जो सब लोगों को मालूम है, उसका पहला ही है कि जितने हमारे तालाब हो, पोखर हो, आहर हो, पईन हो, उनको अतिक्रमणमुक्त कराया जायेगा, यह काम किया जा रहा है लेकिन अभी इस यात्रा के सिलसिले में बात आयी कि बहुत सारे तालाब या पोखर हैं, जो कुछ ऐसी जगह पर है, जिसमें कोई गरीब-गुरुबा तबके के लोग, खास करके अनुसूचित-जाति के लोग, इस तरह से गरीब-गुरुबा लोग, जिनको कोई जगह नहीं थी, वे बगल में बसे हुए हैं, तो एक बात आप जान लीजिये कि इसके बारे में हमने स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को निदेश दिया है कि इसके बारे में रुल भी बना लें, हमलोगों को सब इस तरह की चीजों को अतिक्रमण से मुक्त करना है लेकिन वैसे लोग जो गरीब-गुरुबा लोग वहॉ पर बसे हुए थे, उनके पास कोई जगह नहीं थी, वहीं पर वे बस गये, तो वैसे लोगों को अन्य स्थान पर बसाया जाय और उसके साथ उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाय, तो अतिक्रमण मुक्ति आपके पर्यावरण के लिए और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस दृष्टिकोण से यह बहुत ही आवश्यक है, तो इसके लिए कोई आदमी ऐसा न हो कि वह रहने की जगह है और उसको रहने की जगह न रहे, तो उसके लिए रहने के लिए तो इंतजाम करना ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि सारे अतिक्रमण पर वैसे ही लोगों का कब्जा है,ऐसा नहीं है, चंद जगहों पर इस तरह की बात है, तो वैसे जगहों के बारे में भी हमने स्पष्ट रुप से कहा है कि इसके लिए सभी जगहों का सर्वेक्षण करके देख लीजिये और वैसे लोगों को अन्य स्थान पर बसाया जाना चाहिए,यह बात हमने साफ तौर पर कहा, इसलिए इसमें कोई मतभेद नहीं है और सब लोगों की सहमति से, इतना बड़ा बिहार में कम से कम पर्यावरण का संकट घटे, जो जलवायु परिवर्तन के कारण नुकसान की स्थिति आ रही है, वह घटे ।

क्रमशः

टर्न-6/सत्येन्द्र/13-01-2020

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : (क्रमशः) तो इसको ध्यान में रखते हुए । आप क्यों खड़ा हो रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि इन सब चीजों को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जाय?

(व्यवधान)

अध्यक्षः हो गया न ? अब आप बीच में क्यों शुरू हो गये ?

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः आपके पास कोई भी सूचना है, वह सूचना आप दे दीजिये । उसके बारे में पूरे तौर पर दिशा-निर्देश भी दे दिया जायेगा लेकिन इस बात को लेकर के हमलोगों का दिशा-निर्देश यही है कि जो उस प्रकार के लोग हैं, गरीब तबके के लोग, जो वहां बसे हुए थे, उनको अन्य स्थानों पर बसाया जाय, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाय । लेकिन इन चीजों को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसका जीर्णोद्धार कराया जाय, तभी जो भूजल स्तर है, उसको हमलोग कायम रख पायेंगे । यह जरूरी है । तो खैर ये सब अलग चीजें हैं । इस बात की चर्चा आपलोगों ने कर दी । हमने समझा कि कुछ जरूरी चीजें हैं, उसके बारे में कह दिया जाय और सब लोगों ने एक मत से यह कहा है कि जो संविधान का संशोधन हुआ है 126 वां संशोधन, उसका हम सब लोग उसके पक्ष में सर्वसम्मति से हमलोग अपने संकल्प को पारित करेंगे तो इसके लिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब मैं मूल प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"यह सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद-368 के खंड (2) के परन्तुक (घ) के अधीन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित "संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019" का अनुसमर्थन करती है ।"

पूरा सदन इस प्रस्ताव के पक्ष में है । इसलिए सदन की सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शोक प्रकाश

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है:

स्वर्गीय अजीत कुमार सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह का निधन दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह सिवान जिला के गोरेयाकोठी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 एवं 1990 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार के मंत्री भी रहे थे । उनकी समाज सेवा में गहरी अभिरुचि थी । वे कर्मठ, लोकप्रिय एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त पविार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय कौशलेन्द्र प्रसाद शाही

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री कौशलेन्द्र प्रसाद शाही का निधन दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 90 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय शाही सिवान जिला के महाराजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1967 में बिहार विधान सभ के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे विद्वान एवं लोकप्रिय व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा की शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय मुनीलाल

लोक सभा के पूर्व सदस्य श्री मुनीलाल का निधन दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 81 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय मुनीलाल रोहतास जिला के सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1996, 1998 एवं 1999 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे

भारत सरकार में राज्यमंत्री भी रहे थे । वे एक कुशल प्रशासक थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय कमल सिंह

लोक सभा के पूर्व सदस्य श्री कमल सिंह का निधन दिनांक 05 जनवरी, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 94 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह आरा जिला के शाहाबाद उत्तर-पश्चिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1952 एवं बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1957 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । शिक्षा के प्रति उनकी गहरी रुचि थी । उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण किया था । वे कर्मठ, लोकप्रिय एवं जुझारू व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दु:खी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूँगा ।

अब सभा की बैठक अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की जाती है।